प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3734/2010</u>

<u>याचिकाकर्ता:</u> रेशम लाल

बनाम

<u>उत्तरवादीगण:</u> मंडल सुरक्षा आयुक्त,

रेलवे सुरक्षा बल

आदेश सुनाने हेतु नियत तिथि: 25 फरवरी, 2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/

सतीश के अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3734/2010

याचिकाकर्ता: रेशम लाल

बनाम

उत्तरवादीगण: मंडल सुरक्षा आयुक्त,

रेलवे सुरक्षा बल

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के. अग्निहोत्री,

उपस्थित:- याचिकाकर्ता की ओर से, अधिवक्ता श्री सुनील ओटवानी।

उत्तरवादी की ओर से, अधिवक्ता सुश्री नौशिना अली।

(यह आदेश 2 फरवरी, 2011 को उद्घोषित किया गया)

1. इस याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता ने मंडल सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ/एसईसीआर/रायपुर द्वारा पारित दिनांक 27-08-2008 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती दिया है। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग किया है कि उत्तरवादियों को दिनांक 28-06-2005 से दिनांक 26-03-2008 की अवधि के लिए पूरा वेतन और भत्ते का भुगतान करने का निर्देश दिया जाएं।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अविवादित तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि याचिकाकर्ता को शुरू में दिनांक 20-04-1975 को उत्तरवादी विभाग में आरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता दिनांक 30-09-2008 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो गया। अपनी सेवा के दौरान, वर्ष 2005 में याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "भा.द.सं.") की धारा 147, 148, 149, 307 और 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। अपराध दर्ज होने के आधार पर, याचिकाकर्ता को दिनांक 28-06-2005 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, विचारण पूरा होने के बाद, दिनांक 13-03-2008 के निर्णय द्वारा याचिकाकर्ता को उस पर लगाए गए आपराधिक आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 05-05-2008 के आदेश (अनुलग्नक पी/2) द्वारा निलंबन आदेश का प्रतिसंहरण कर दिया गया। निलंबन का प्रतिसंहरण होने के बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 04-08-2008 को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष निलंबन की अवधि यानी जुलाई 2005 से अप्रैल 2008 तक के पूर्ण वेतन के भुगतान के लिए एक आवेदन किया (अनुलग्नक पी/3)। इसके बाद, संबंधित प्राधिकारी ने दिनांक 27-08-2008 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि दिनांक 28-06-2005 से दिनांक 26-03-2008 तक की अवधि को 'निलंबन' के रूप में माना गया है और शेष अवधि यानी 27-03-2008 से 04-08-2008 को याचिकाकर्ता की 'कर्तव्य अवधि' के रूप में माना गया है और अतः, याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया पूरा भुगतान नहीं किया गया। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओटवानी ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश अवैध और मनमाना है, क्योंकि आपराधिक मामले से दोषमुक्त होने की स्थिति में, याचिकाकर्ता पूरे वेतन और भत्ते का हकदार है। हालाँकि

याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया था, उसके खिलाफ कोई विभागीय जाँच शुरू नहीं की गई थी और विचारण न्यायालय से दोषमुक्त होने के बाद, निलंबन आदेश प्रतिसंहरण कर दिया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता निलंबन की अवधि के दौरान पूरे वेतन के भुगतान का हकदार है। आक्षेपित आदेश यांत्रिक तरीके से और पर्याप्त एवं सुसंगत कारण बताए बिना पारित किया गया है।

5. इसके विपरीत, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता सुश्री नौशिना अली ने तर्क दिया कि निलंबन की अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता को रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 (संक्षेप में "नियम 1968") के नियम 5 के अनुसार निर्वाह भत्ता का भुगतान किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने के बाद ही अस्वीकार कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. सुश्री नौशिना अली ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया, कि याचिकाकर्ता ने मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश के खिलाफ वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाए बिना, सीधे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है,

वह भी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो साल की विलंब के बाद, इस तरह की विलंब के संबंध में स्पष्टीकरण दिए बिना। याचिकाकर्ता ने दिनांक 27-08-2008 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) की गलत व्याख्या की। इसलिए, याचिकाकर्ता इस न्यायालय से कोई अनुतोश पाने का हकदार नहीं है और याचिका खारिज की जानी चाहिए।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, और याचिकाओं तथा उनसे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 5 (1) (रा) के प्रावधानों के तहत, एक रेलवे सेवक को निलंबित किया जा सकता है, जहाँ उसके खिलाफ किसी आपराधिक अपराध के संबंध में कोई मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन है।

9. दिनांक 28-06-2005 को जीआरपी/बीआईए मामला क्रमांक 85/37/05 के तहत आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर, याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 13-03-2008 के निर्णय और आदेश द्वारा एक आपराधिक विचारण में दोषमुक्त कर दिया गया। इस प्रकार, निलंबन की अवधि के लिए कोई भुगतान नहीं किया

गया और शेष अवधि अर्थात् दिनांक 27-03-2008 से 04-05-2008 तक को भुगतान के लिए कर्तव्य पर माना गया।

10. 1968 के नियमों का नियम 2044-बी (मू.नि.54-बी) नियम 1345 आर.आई.आई. के उप-नियम (3) और (8) का 1987 वा संस्करण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन की अवधि के लिए पूरे वेतन और भत्तों के भुगतान के संबंध में विवेक का प्रयोग करने का प्रावधान करते हैं।

उप-नियम (3) और (8) निम्नानुसार हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"(3) जहाँ बहाली का आदेश देने में सक्षम प्राधिकारी की राय है कि निलंबन पूरी तरह से अनुचित था, तो रेलवे सेवक, उप-नियम (8) के प्रावधानों के अधीन, पूरा वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा, जिसके लिए वह पात्र होता, यदि उसे निलंबित न किया गया होता।

परन्तु जहाँ ऐसे प्राधिकारी की राय है कि रेलवे सेवक के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही की समाप्ति में विलंब हुई है, जो सीधे तौर पर रेलवे सेवक के कारण हुई है, तो वह, उसे इस संबंध में सूचना दिए जाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन

पर विचार करने के बाद, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यह निर्देश दे सकता है कि रेलवे सेवक को ऐसी विलंब की अवधि के लिए केवल उतनी ही राशि का भुगतान किया जाएगा (जो ऐसे पूरे वेतन और भत्तों से कम होगी) जितनी वह निर्धारित करे।"

"(8) उप-नियम (3) के परंतुक के तहत या उप-नियम (5) के तहत निर्धारित राशि, नियम 2043 (मू.नि.53), 1342 का 1987 वा संस्करण, के तहत स्वीकार्य निर्वाह भत्ता और अन्य भत्तों से कम नहीं होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. याचिकाकर्ता द्वारा ***उमेश चंद्र मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य***[1] पर दिए गए निर्णय पर अवलंब लेना वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए सुसंगत नहीं है, क्योंकि उस मामले में प्रश्न यह था कि निलंबन की अवधि के दौरान निर्वाह भत्ता क्या होना चाहिए।

12. सर्वोच्च न्यायालय ने ***मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली बनाम भोपाल सिंह पंचाल*** [2] में निम्नानुसार अवधारित किया:

---

1 1993 Supp (2) SCC 210

2(1994) 1 SCC 541

"15... ऐसी परिस्थितियों में, जब उसे उक्त अवधि के दौरान निलंबन के तहत माना जाता है, तो वह निर्वाह भत्ते का हकदार होता है। हालांकि, उसे दिया गया निर्वाह भत्ता उसके वेतन और भत्तों के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उनके लिए हकदार माना जाता है। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्णय लेते समय कि इन परिस्थितियों में निलंबित कर्मचारी अपने वेतन और भत्तों का हकदार है या नहीं, और किस सीमा तक है, यदि कोई है, और क्या अवधि को कर्तव्य पर माना जाना है या छुट्टी पर, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखना होता है। यह केवल तभी होता है जब ऐसे कर्मचारी को सभी दोषों से दोषमुक्त कर दिया जाता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन की अवधि के दौरान कर्तव्य पर माना जाता है, तभी ऐसा कर्मचारी उक्त अवधि के लिए पूरे वेतन और भत्तों का हकदार होता है। दूसरे शब्दों में, विनियम विशेष रूप से बैंक में ऐसी निलंबन की अवधि को कर्तव्य पर या छुट्टी पर या अन्यथा मानने की शक्ति निहित करते हैं। इस प्रकार निहित शक्ति को वैध रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अवधि के दौरान, कर्मचारी कोई कार्य नहीं करता है। वह अपने कदाचार में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपनी संलिप्तता के कारणों से अनुपस्थित रहता है और बैंक उसे उसके कर्तव्यों से दूर रखने के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है।

इसलिए, बैंक पर उसे उस अवधि के लिए उसका वेतन और भत्ते देने का दायित्व नहीं डाला जा सकता है। यह 'कार्य नहीं, तो वेतन नहीं' के सिद्धांत के विरुद्ध होगा और उन लोगों के प्रति सकारात्मक रूप से अन्यायपूर्ण होगा जिन्हें काम करना पड़ता है और अपना वेतन कमाना पड़ता है। जैसा कि है, इस अवधि के दौरान भी, कर्मचारी विनियमों के आधार पर निर्वाह भत्ता अर्जित करता है। इन परिस्थितियों में, उस संबंध में बैंक की शक्ति अखंडनीय है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. ***रणछोड़जी चतुरजी ठाकोर बनाम अधीक्षक अभियंता, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हिम्मतनगर (गुजरात) और अन्य***[3] में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"3... पिछले वेतन के प्रश्न तभी माना जाएगा जब प्रतिवादियों ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से कार्रवाई की थी और वह कार्रवाई विधि में अस्थिर पाई गई थी, और उसे अवैध रूप से कर्तव्यों

3 (1996) 11 SCC 603

का निर्वहन करने से रोका गया था। उस संदर्भ में, उसका आचरण सुसंगत हो जाता है। प्रत्येक मामले को उसके अपने संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है। इस मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता एक अपराध में शामिल था, हालांकि बाद में उसे दोषमुक्त कर दिया गया था, उसने दोषसिद्धि और जेल में कैद के कारण खुद को सेवा प्रदान करने से अयोग्य बना दिया था। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता पिछले वेतन के भुगतान का हकदार नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. ***भारत संघ और अन्य बनाम जयपाल सिंह***[4] में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"3... इसे पढ़ने पर, हम आदरपूर्वक 1996 (11) एससीसी 603 (पूर्वोक्त) में लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। यदि अभियोजन, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति को अंततः दोषमुक्त कर दिया गया, विभाग के कहने पर या विभाग द्वारा ही था, तो शायद अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरी ओर, यदि एक नागरिक के रूप में कर्मचारी या लोक सेवक एक आपराधिक मामले में शामिल हो गया और यदि विचारण न्यायालय द्वारा प्रारंभिक दोषसिद्धि के बाद, उसे

4 2003 AIR SCW 6635

बाद में अपील पर दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो विभाग को उसे सेवा से बाहर रखने के लिए किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि विधि एक दोषी व्यक्ति को इस प्रकार बाहर रखने और सेवा में बरकरार न रखने के लिए बाध्य करता है..."

15. वर्तमान मामले के तथ्यों में जैसा कि पहले कहा गया है, यह अविवादित है कि याचिकाकर्ता को आपराधिक मामले के कारण निलंबित किया गया था जो भा.द.सं. की धारा 147, 148, 149, 307 और 302 के तहत दंडनीय गंभीर अपराधों का कारित करने के लिए था, इस प्रकार, यह विभाग के कहने पर नहीं था। दूसरा, निलंबन विभागीय जांच के कारण नहीं था और इस प्रकार, संबंधित प्राधिकारी ने निलंबन की अवधि के दौरान पूरे वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता को कर्तव्य पर नहीं माना है। आपराधिक मामले के लंबित रहने की अवधि के लिए। कागजात का अवलोकन करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित प्राधिकारी ने अपने विवेक का प्रयोग न्यायसंगत ढंग से किया है और याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई आरोप भी नहीं लगाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के आधार पर, यह रिट याचिका, सारहीन होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है और तत् द्वारा खारिज की जाती है।

17. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

हस्ता/
सतीश के अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Ajey kumar